फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :– **श्री किशनलाल वगैरह** विपक्षी :– **श्री परसराम वगैरह**

किस्म मुकदमा :– 75 एलआरएक्ट पत्रावली संख्या :– 06/**23 अपील**

जीसीएमएस नम्बर :– **2023/316**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 10.11.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम पर सुनी गई।

अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्यन किया। दस्तावेज का अवलोकन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की नामान्तरकरण सं. 1352 दिनांक 20.03.2023 को ग्राम पंचायत रख्यावल द्वारा पारित किया गया है। प्रकरण में सारभूत बिन्दु होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर अपीलाण्ट को अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जाती है।

न्यायालय का मानना है कि जहॉ तक अपील प्रस्तुति में हुऐ विलम्ब की अवधि का प्रश्न है तो अपीलाधीन नामान्तरकरण निर्णित करने के पूर्व न तो अपीलाण्ट् को सुना गया है और न हीं सूचना दी गई है। यह कथन अपीलाण्ट का माने जाने योग्य है। ऐसे में जाहीर होता है कि अपीलान्ट् को उक्त नामान्तरकरण का ज्ञान नहीं था। न्यायालय के यह भी मानना है कि मियाद के बिन्दु पर अपील खारिज की जाती है तो इससे अपीलाण्ट के हक अधिकारो पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में अपील का गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण किया जाना न्यायोचित है जिससे किसी भी पक्षकार के हक अधिकारो पर प्रतिकुल प्रभाव नही पड़ेगा। वैसे भी विलम्ब को क्षमा किये जाने बाबत् न्यायालय को लचीला दृष्टिकोण अपनाना चाहिये।

इस कारण अपील प्रस्तुती में हुऐ विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाकर देरी की अवधि को कन्डोन किया जाना न्यायोचित पाया जाता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट् द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम के स्वीकार किये जाकर अपीलाण्ट को अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जाती है एवं देरी की अंवधि को कण्डोन किया जाता है।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

पत्रावली वास्ते बहस अपील दिनांक 19.12.2025 को पेश हो।

10/11/25

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

19/12/25

पत्रावली पेश हुई. - [illegible] उप.। उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश के क्रम में दिनांक 27/01/26 को पेश हो।

27/1/26

वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. बहस अपील के लिये मौका चाहते है। अतः एक अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 24/3/26 को पेश हो।

(SDO) मालती

24/3/26

वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. बहस अपील के लिये मौका चाहते है। अतः अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 5/5/26 को पेश हो।

(SDO) मालती

5/5/26

पत्रावली पेश हुई। अधि. उभयपक्ष. उप./ अधिवक्ता पक्ष. द्वारा बहस का अवसर चाहा। पत्रावली वास्ते बहस अपील दिनांक 4/6/26 को पेश हो।

04/06/26

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट्स मय अपीलान्ट्स अनुपस्थित। अधिवक्ता अपीलान्ट्स मय स्वयं अपीलान्ट्स को बार-बार आवाजे दिलवाई गई। समय सॉय 5:00 PM हो चुके हैं। स्वयं अपीलान्ट्स एवं उनके अधिवक्ता अब तक अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता मय स्वयं अपीलान्ट्स अनुपस्थित रहने पर अपीलान्ट्स की अपील अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) ... जिला-... (राज.)

सहायक कलक्टर
(SDO) मालती